



2026:AHC:32417

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 746/2026

चंद्र शेखर शर्मा

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:

पंकज शर्मा, प्रदीप कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

:

अपर महाधिवक्ता, रवि प्रकाश सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. श्री मुस्तकीम अहमद (ए/एम 0674/2012), अधिवक्ता, जो याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार की ओर से उपस्थित हुए, और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश सिंह को सुना गया।
2. इस रिट याचिका के माध्यम से, रिट याचिकाकर्ता कमांडेंट, 41वां बटालियन, सीआरपीएफ, भोपाल द्वारा दिनांक 18.11.2025 को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस/कार्यालय ज्ञापन को चुनौती देना चाहता है।
3. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश सिंह ने एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि इस न्यायालय के पास इस मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता है, विशेष रूप से तब, जब विवादित आदेश भोपाल स्थित किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था और रिट याचिकाकर्ता की अंतिम पदस्थापना भी भोपाल में ही थी।
4. इसके जवाब में, रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अलीगढ़ में एक आपराधिक मामला लंबित बताया गया है, अतः इस मामले पर इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा।
5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।
6. ज़ाहिर है, रिट याचिकाकर्ता भोपाल में तैनात था और जिस कार्यालय ज्ञापन/कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई है, वह भोपाल स्थित किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है।
7. राजेंद्र कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ; 2005 (1) एसीजे 375 में, पूर्ण न्यायपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

“13. हमारी राय में, केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता वर्तमान में बलिया में रह रहा है, इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होगा; यह बात लेफ्टिनेंट कर्नल खजूर सिंह बनाम भारत संघ (एआईआर 1961 एससी 532) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के आलोक में कही जा रही है। उपर्युक्त निर्णय के पैरा 13 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी:

“अब यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्राप्त अधिकार-क्षेत्र, अनुतोष के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के निवास या स्थान पर निर्भर नहीं करता; बल्कि यह केवल उस व्यक्ति या प्राधिकारी पर निर्भर करता है, जिसके विरुद्ध रिट की मांग की गई है, और जो उन क्षेत्रों की सीमा के भीतर स्थित हो। इसलिए, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण करने के लिए, अनुच्छेद 226 में उस आदेश से प्रभावित व्यक्ति के निवास या स्थान को आधार बनाना अनुमेय नहीं है। वह क्षेत्राधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि आदेश पारित करने वाला व्यक्ति या प्राधिकारी उन क्षेत्रों के भीतर स्थित हो; और प्रभावित व्यक्ति का निवास स्थान या अवस्थिति, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर कोई प्रासंगिकता नहीं रखती। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, यदि बंबई में रहने वाला या स्थित कोई व्यक्ति, कलकत्ता में स्थित किसी प्राधिकारी

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



द्वारा पारित किसी आदेश से पीड़ित है, तो उसे राहत के लिए जिस मंच का सहारा लेना होगा, वह मुंबई उच्च न्यायालय नहीं है—भले ही उस आदेश का प्रभाव मुंबई में उस पर पड़ रहा हो—बल्कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जहाँ वह आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी स्थित है। इसलिए, हमारी राय में, अनुच्छेद 226 के तहत अनुतोष देने में सक्षम उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निर्धारित करने के लिए, अनुच्छेद 226 में उस स्थान की अवधारणा को शामिल करना गलत होगा, जहाँ पारित आदेश प्रभावी होता है।”

8. चूँकि न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई भी वाद-कारण उत्पन्न नहीं होता है, अतः क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अभाव में यह रिट याचिका खारिज की जाती है; साथ ही, रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह इस मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के समक्ष उक्त कार्यालय ज्ञापन/कारण बताओ नोटिस को चुनौती दे सके।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

13 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”